

गर्य का नाम:-

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत त्यूनी चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-23.325किमी0)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.....

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत त्यूनी चांदनी से प्यूनल (लम्बाई-23.325 किमी0) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.940 है0 वन भूमि का लो0निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 हरिद्वार (मुख्यालय कालसी) को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	ज़िला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चक्रता वन प्रभाग
iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 में	4.940 है0 वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	1.1375 है0 आरक्षित वन भूमि 0.0000 है0 वन पंचायत भूमि 3.8025 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम उपरौली <u>4.9400 है0 कुल वन भूमि</u>
vi)	हरियाली का स्थनत्व2.
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल-2 मी0 पर परिणामना और एफ.आर.एल-4 मी0 भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 223 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या 69 है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 26 से 50 तक संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की दिनांक 22 सितम्बर 2014 की भूगर्भीय आख्या संलग्न-प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 26 से 50 तक चर्चा है।
ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/व्यनित स्थल आरक्षित वन भूमि से नहीं गुजरता है एवं सिविल सोयम भूमि ग्राम उपरौली की सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	व्या कर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुवंधित की जायें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 4.4 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें	नहीं।

(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेछित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या ६३ पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भवि की आश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या २१ पर संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई काया किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या ६४ से ६५ तक पर संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या ६४ से ६५ पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या २३ से २५ तक संलग्न है। उक्तानुसार
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रजातियां :— जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्वयन ऐजेंसी :— स्वंय वन विभाग समय :— उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :— क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रु०१८.५१/लाख का प्राकलन पृष्ठ संख्या ८४ से ६५ तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रु० लाख का प्राकलन पृष्ठ संख्या १.२ से २५ तक संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :— जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्वयन ऐजेंसी :— स्वंय वन विभाग समय :— उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :— क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रु०१८.५१/लाख का प्राकलन पृष्ठ संख्या ८४ से ६५ तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रु० लाख का प्राकलन पृष्ठ संख्या १.२ से २५ तक संलग्न है। रु० .१८.५१/६८.लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रु० ३४.३४/३४.३४ लाख परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्राकलन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या पर संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	चक्राता वन प्रभाग/जिला – देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	३०.४४ वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	२१६.५ वर्ग किमी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ५५६.१२ है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र ०..... है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक	

३

	<p>वनीकरण</p> <p>(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि -</p> <p>(ख) वनोत्तर भूमि पर -</p>	<p>(क) ६.७.२...६.५०</p> <p>(ख) रिक्त</p>
(v)	<p>अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति</p> <p>(क) वन भूमि पर -</p> <p>(ख) वनोत्तर भूमि पर -</p>	<p>(क) ६.७.३.६/५० में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है।</p> <p>(ख) रिक्त</p>
13	<p>प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश</p>	<p>प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक प्रभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक ९-९-२०१५ को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।</p>

दिनांक :- ९-९-२०१५

स्थान :-

वनोत्तर भूमि

लाल नाचिकारी
वनोत्तर भूमि प्रभाग
सरकारी मोहरकाता वन प्रभाग

हस्ताक्षर

नाम :- (डॉ. दिवाली भट्ट)

प्रभागीय वनपरिकारी

सरकारी मोहरकाता वन प्रभाग

मुक्तता (देहस्तुत)